(6)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.
प्रकरण सं. 04 / 2022
अनवान:—

1. मिठु सिंह पुत्र श्री गुरदेव सिंह जाति जट सिख आयु 45 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर—9, रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
2. संजय पुत्र श्री राय सिंह जाति नाई आयु 32 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर – 9, रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत, रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ जरिये सरपंच
2. बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह जाति जट सिख निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीयान

निगरानी प्रार्थना पत्र विरूद्व संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.07.2018 ग्राम पंचायत रतनपुरा जिसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ बलविन्द्र सिंह अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में गृह विनयमितीकरण करते हुए पट्टा संख्या 47 दिनांक 05.08.2018 कुल 170 गुणा 50 फीट के भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। बमुराद मंसूखी संकल्प एवं उक्त पट्टा।

उपस्थित:—
(1) श्री बलविन्द्र सिंह अभिभाषक निगरानीकर्ता।
(2) श्री प्रदुमनसिंह परमार अभिभाषक अप्रार्थी स. 02

—:निर्णय:—

दिनांक:— 15.03.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उक्त निगरानी अप्रार्थी ग्राम पंचायत के द्वारा पारित गलत व असत्य तथ्यों पर आधारित पारित संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.07.2018 व इसके अनुसरण में दिनांक 05.08.2018 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किये गये पट्टा से प्रभावित होकर प्रस्तुत की गयी है। अप्रार्थी संख्या 2 ने असत्य तथ्यों पर आधारित एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत कर गांव रतनपुरा के वार्ड संख्या 11 में 50 वर्षों से आवास बनाकर रहना बतलाया व इसका पट्टा जारी करने का निवेदन किया। ग्राम पंचायत ने धारा 157 पंचायतीराज अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण को मानकर जरिये आदेशिका दिनांक 18.06.2018 तीन पंचों की कमेटी का गठन कर पंचायतीराज अधिनियम के प्रभाव में आने से कितनी अवधि पूर्व निर्माण कर निवास करने सम्बंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। तीनों पंचों के द्वारा पूर्व मुद्रित प्रपत्र पर रिपोर्ट की गई कि प्रार्थी बलविन्द्र सिंह (अप्रार्थी संख्या 2) का वर्ष 1996 से 50 वर्ष पूर्व का निर्माण व निवास है। इसके साथ ही तत्कालीन सरपंच श्री सत्यपाल व वार्ड नम्बर 7 की पंच श्रीमति [illegible] पूर्व मुद्रित प्रपत्र पर कथित निर्माणयुक्त आवास की एक फोटो चस्पा कर [illegible] फोटोयुक्त मकान अप्रार्थी संख्या 2 का है, जिसकी मौके पर [illegible] ग्राम पंचायत ने संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.07.2018 को [illegible] अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा बनाने का निर्णय लिया व तदुपरांत पट्टा जारी कर मिसल दाखिल दफ्तर कर दी [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा उक्त भूखण्ड को विनियमित करने व इसका पट्टा जारी [illegible] जाने सम्बंधी समस्त आदेश पूर्णतया विधि विरुद्ध, अशुद्ध, अप्रमाणिक एवं असत्य व कूटरचित दस्तावेजों पर आधारित होने से निम्न आधारों पर काबिल निरस्ती है।

उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 का न तो कब्जा था व न ही इसमें कोई निर्माण ही किया हुआ था। ऐसी स्थिति में धारा 157 पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधान ही लागू नहीं होते हैं। प्रश्नगत भूखण्ड पर पुराना मकान ही निर्मित नहीं है। पत्रावली में रंगीन फोटो साईज 4 गुणा 6 इंच में जो दीवार व गेट लगा होना दिखाया गया है, वह फोटो किसी और घर की है। प्रश्नगत भूखण्ड पर ऐसा कोई निर्माण ही नहीं

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:13:00 IST
Reason: SelfAttested

है। तत्कालीन ग्राम पंचायत के सरपंच ने जिन तीन मैम्बर्स / वार्ड सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया, उनमें से कोई भी वार्ड नम्बर 11 का सदस्य नहीं था अर्थात वार्ड नम्बर 11 जहां यह भूखण्ड अवस्थित है, के वार्ड मैम्बर की रिपोर्ट नहीं ली गई। ग्राम पंचायत ने तत्समय ऐसे प्रस्तावित विनयमितिकरण से सम्बंधित कोई पब्लिक नोटिस प्रसारित नहीं किया। ऐसा नोटिस गांव के किसी भी सहज ही दृष्टव्य स्थान पर चस्पा नहीं किया गया। ऐसे नोटिस को कहां चस्पा किया गया, यह अंकित नहीं है व न ही ऐसे नोटिस पर दो मौतबिर व्यक्तियों के हस्ताक्षर ही प्राप्त किये गये। इस प्रकार नियम 148 पंचायतीराज नियम 1996 की पालना नहीं करवाई गई ताकि यह मामला छिपा रहे व लोग इसके विरूद्व अपनी आपत्तियां प्रस्तुत न कर सके। उपरोक्त भूखण्ड गुवाड़ की भूमि का एक हिस्सा है अर्थात ग्राम पंचायत जो कि गुवाड़ सार्वजनिक चौपाल व रास्ता की न्यासी मात्र है, ऐसे सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की भूमि को विक्रय करने अथवा इसे रेग्यूलेराईज करने की शक्तियां ही धारित नहीं करती है। ऐसा पट्टा मूलतः ही अवैध व शुन्य है। उक्त गलत व विधि विरूद्ध पट्टा के जारी के तथ्यों का पता चलने पर प्रार्थीगण व गांव रतनपुरा के अन्य वाशिन्दगान ने ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी के समक्ष इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की । अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत के द्वारा पारित संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.07.2018 व पट्टा दिनांक 05.08.2018 बहक अप्रार्थी संख्या 2 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये तथा अप्रार्थी सं0 01 की ओर से ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रतनपुरा पंचायत समिति संगरिया द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत के द्वारा पारित संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.07.2018 व पट्टा दिनांक 05.08.2018 बहक अप्रार्थी संख्या 2 निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक निगरानीकर्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किया जो इस प्रकार है।

2016(3) WLC(Raj.) 363 RAJASTHAN HIGH COURT (JODHPUR)

अभिभाषक अप्रार्थी 02 ने अपनी बहस में कथन किये कि अप्रार्थी सं0 02 गांव रतनपुरा का स्थाई निवासी है। अप्रार्थी को ग्राम पंचायत रतनपुरा द्वारा उसके पुराना कब्जा के आधार पर अपने संकल्प सं0 02 दिनांक 18.07.2018 के द्वारा सपम्पूर्ण जांच व विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए भूखण्ड आवटित किया था। जिसका पट्टा ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 05.08.2018 को जारी किया गया था। वादी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत पटटा जारी किया गया है तथा पंजीकृत पटटा के माध्यम से कोई आक्षेप होते हैं तो उन्हे सिविल न्यायालय के माध्यम से ही आक्षेपित किया जा सकता है। विकास अधिकारी सरपंच ग्राम पंचायत व जिला कलक्टर को परिवाद पर पट्टा खारिज करने की कोई विधिक अधिकारिता नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक स्थल का आवंटन कर दिया हो असत्य अविधिक व मनघढत होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् रूप से सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए पट्टा जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टा को ग्राम पंचायत द्वारा ही पंजीकृत करवाया गया है निवादी ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित भूखण्ड पर आवंटन के रोज से ही लगातार व निर्विवाद रूप से काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी [illegible] प्रकरण को निस्तारित न होने देने के उददेश्य से मिथ्या आधारों पर यह [illegible] प्रस्तुत किया है जो किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। [illegible] निगरानी याचिका मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:13:00 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

1. पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति संगरिया की जांच रिपोर्ट दिनांक 13.08.2019 के अनुसार उक्त जगह पर कोई आवास निर्माण नहीं है, उक्त जगह पर पशुओ के पीने के पानी की एक खेल निर्मित है , शेष भूमि रिक्त है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 157 (2) अंतर्गत निर्मित मकानों/कच्चे मकानों का नियमितीकरण ही किया जा सकता है, अतः नियमितीकरण सही नहीं है। ग्राम पंचायत

द्वारा दिनांक 05.08.2018 को बलविन्द्रसिंह के नाम 170 * 50 = 8500 वर्गफुट का विनियमितीकरण कर पटटा जारी किय गया है, जबकि पंचायतीराज अधिनियम 157(2) के अनुसार 200/–रूपये में अधिकतम 2700 वर्गफुट का निर्मित आवास का ही विनियमितीकरण किया जा सकता है, नियमानुसार उक्त नियमितीकरण गलत (नियमविरूद्ध) है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी बलविन्द्रसिंह को 200/–रूपये ग्राम पंचायत में जमा करवाने के लिए पत्र जारी किया गया है, परन्तु उक्त राशि की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं की गई है। अप्रार्थी द्वारा तथ्य छुपाकर पटटा जारी करवाया गया है।

2. ग्राम पंचायत रतनपुरा के आदेश दिनांक 11.02.22 के अनुसार उपरोक्त भूखण्ड गुवाड़ की भूमि का एक हिस्सा है अर्थात ग्राम पंचायत जो कि गुवाड़ सार्वजनिक चौपाल व रास्ता की न्यासी मात्र है, सार्वजनिक भूमि पर व्यक्तिगत पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। ऐसे सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की भूमि को विक्रय करने अथवा इसे रेग्यूलेराईज करने की शक्तियां ही धारित नहीं करती है।

उक्त विवेचना के अनुसार एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानी अधीन ग्राम पंचायत के द्वारा पारित संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.07.2018 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत रतनपुरा द्वारा बलविन्द्रसिंह के पक्ष में गृह वियमितीकरण करते हुए पटटा सं0 47 दिनांक 05.08.2018 जारी किया गया है, को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/3/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/3/2024

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:13:00 IST
Reason: SelfAttested